सा० ० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 233] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 8, 1972/भाद्र 17, 1894

No. 233] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 8, 1972/BHADRA 17, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September 1972

G.S.R. 404(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) the Central Board, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1962, published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. G.S.R. 691, dated the 10th May, 1962, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) (Amendment) Regulations, 1972.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of October, 1971.

2. In the Third Schedule to the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1962, in the table below paragraph 3.—

(i) to the entries against Serial No. 3, the following provisos shall be added at the end, namely:—

"Provided that the vacancies falling in the quota of 25 per cent referred to above shall first be filled by promotion of employees from the Head-quarters Office who have successfully competed in the examination and

to the extent such employees from the Headquarters Office are not available for promotion against the available vacancies in any recruitment year, any such vacancy or vacancies, as the case may be, shall be filled in by promotion of employees serving in the Regional Offices who have successfully competed in the said examination:

Provided further that *inter-se* seniority of the successful candidates so appointed from the same examination, whether from amongst the successful employees of Headquarters Office or the Regional Offices shall be determined according to the merit on the basis of marks obtained";

(ii) to the entries against Serial No. 4, the following provisos shall be added at the end, namely:—

"Provided that the vacancies falling in the quota of 25 per cent referred to above shall first be filed by promotion of employees from the respective Regional Offices who have successfully competed in the examination and to the extent such employees from the respective Regional Offices are not available for promotion against the available vacancies in any recruitment year, any such vacancy or vacancies, as the case may be, shall be filled in by promotion of employees serving in the Headquarters and other Regional Offices who have successfully competed in the said examination:

Provided further that *inter-se* seniority of the successful candidates so appointed from the same examination, whether from amongst the successful employees of the Regional Offices or the Headquarters Office shall be determined according to the merit on the basis of marks obtained."

3. The provisions of these Regulations shall not affect appointments ordered on the basis of the results of the competitive examinations held prior to the commencement of these Regulations to fill the posts of Assistants in the Headquarters Office and Head Clerks in the Regional Offices.

[No. A.12034(5)/70-PF.I.]

Explanatory Memorandum

The Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1962 as amended by G.S.R. 787 dated the 16th May, 1970 and G.S.R. 1155 dated the 5th July, 1971 provide for filling up 25 per cent posts in the cadres of Assistant in the Headquarters Office and Head Clerk in the Regional Offices on the basis of competitive examination open to the staff serving in both the Headquarters and the Regional Offices. The amendment is intended to do away with the hardships caused to the individuals and administrative difficulties encountered in implementing the existing provisions as also to rationalise the promotional evenues amongst the staff working in various offices. As the amended Regulations will be effective from 1st October 1971 and the results of the competitive examination for promotion to the cadre of Assistant/Head Clerk, held in October, 1971 have not been declared, the retrospective operation of this regulation will not affect adevrsely the interests of any employee.

D. S. NIM, Jt. Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1972

सा० का० नि० 404(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 क की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और नियोजन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 691, तारीख 10 मई, 1962 के साथ प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारीवृन्द और सेवा की शर्तें) विनियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

1. (1) इन विनियमों का नाम कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारीवृन्द सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 1972 होगा ।

(2) ये अक्तूबर, 1971 के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे ।

2. कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारीवृन्द और सेवा की शर्तें) विनियम, 1962 की तीसर अनुसूची में पैरा 3 के नीचे की सारिणी में :—

(i) क्रम सं० 3 के सामने प्रविष्टियों के अन्त में निम्नलिखित उपबन्ध जोड़े जायेंगे; अर्थात् :

"परन्तु ऊपर निर्दिष्ट 25 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत आने वाली रिक्तियां पहले मुख्यालय के ऐसे कर्मचारियों की प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षा पास की है और भर्ती के किसी वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों पर प्रोन्नति के लिए मुख्यालय में से ऐसे जितने कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, यथास्थिति ऐसी रिक्ति या रिक्तियां क्षेत्रीय कार्यालय में सेवा करने वाले ऐसे कर्मचारियों की प्रोन्नति द्वारा भरी जायेंगी जिन्होंने उक्त परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है, परन्तु यह और कि उसी परीक्षा से इस प्रकार नियुक्त सफल अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता, चाहे वे मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालयों के सफल कर्मचारियों में से हों, प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण के अनुसार अवधारित की जायेंगी" !

(ii) क्रम सं० 4 के सामने प्रविष्टियों के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात् –

"परन्तु ऊपर निर्दिष्ट 25 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत आने वाली रिक्तियां पहले अपने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के ऐसे कर्मचारियों की प्रोन्नति द्वारा भरी जायेंगी जिन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षा पास की है और भर्ती के किसी वर्ष में उपलब्ध रिक्तियों पर प्रोन्नति के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में से ऐसे जितने कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, यथास्थिति ऐसी रिक्ति या रिक्तियां मुख्यालय में या अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवा करने वाले ऐसे कर्मचारियों की प्रोन्नति द्वारा भरी जायेंगी जिन्होंने उक्त परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है ।

परन्तु यह और कि उसी परीक्षा से इस प्रकार नियुक्त सफल अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता चाहे, वे क्षेत्रीय कार्यालयों या मुख्यालय कार्यालय के सफल कर्मचारियों में से हों, प्राप्त अंकों के आधार पर, गुणागुण के अनुसार अवधारित की जायगी ?"

3. इस विनियमों के उपबन्धों का मुख्यालय के कार्यालय में सहायकों, और क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रधान लिपिकों के पदों को भरने के लिए, इन विनियमों के प्रारम्भ से पूर्व आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर आदिष्ट नियुक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।

[सं० ए-12034/5/70 पी० एफ०-I]

स्पष्टीकारक ज्ञापन

सा० का० नि० 787, तारीख, 16 मई, 1970 और सा० का० नि० 1155, तारीख 5 जुलाई, 1971, द्वारा यथा संशोधित कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारीवृन्द और सेवा की शर्तें) विनियम 1962 मुख्यालय कार्यालय में सहायकों और क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रधान लिपिकों के काडर के 25 प्रतिशत पदों को, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय इन दोनों ही कार्यालयों के कर्मचारियों की प्रतियोगिता-परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था करता है । यह संशोधित व्यष्टियों को हुई कठिनाइयों और वर्तमान उपबन्धों को क्रियान्वित करने में होने वाली प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने तथा विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारीवृन्द में प्रोन्नति के अवसरों को युक्तियुक्त बनाने के लिए आशायित है । चूंकि संशोधित विनियम पहली अक्तूबर, 1971 से लागू होंगे और सहायक प्रधान लिपिक के काडर में प्रोन्नति के लिए अक्तूबर, 1971 में आयोजित की गई प्रतियोगिताओं-परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं हुए है, इस विनियम का भूतलक्षी प्रवर्तन किसी कर्मचारी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

डी० एस० निमि, संयुक्त सचिव ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

ERRATUM

In the Ministry of Agriculture (Dept. of Food) Notification No. F. 4-5/71-FCC., dated the 15th February, 1972 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II-Section 3—Sub-section (i) under Issue No. 54, dated the 15th February 1972/Magha 26, 1893 *for* "G.S.R. 54 (E)" *read* "G.S.R. 77(E)" in both English and Hindi versions respectively.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972